आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5/3/24	**आदेश (6/24)** आवेदक सुखदेव पिता स्व० सरजु पासवान साकिन- कुकुईया थाना- बगोदर जिला-गिरिडीह तथा अन्य के आवेदन पर अंचल अधि० बगोदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में मौजा- कुकुईया, थाना- बगोदर जिला- गिरिडीह स्थित भूमि, जिसका खाता नं. 27 प्लॉट नं. 110 रकबा- 81 डी० चौहद्दी उ०निज द०पदुम पासवान पू० रास्ता प०निज प्रथमपक्ष, पर द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किया तथा उभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अथवा कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किया। उभय पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। प्रथम पक्ष का कहना है कि तकरारी भूमि उनके पूर्वज जोधन दुसाध वो बेदु दुसाध को बन्दोबस्ती से हासिल है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल बगोदर के पंजी-II के पृष्ठ सं. 11 Volume No. 02 पर कायम है। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि उक्त भूमि का लगान रसीद लगातार निर्गत होते आ रहा है। प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किए जाने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में ऑफलाईन पंजी-II की छाया प्रति, ऑफलाइन लगान रसीद की छाया प्रति प्रस्तुत करते हैं। वहीं दुसरी ओर द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज बुधन महतो वगैरह को बन्दोबस्ती से हासिल है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि तकरारी भूमि की जमाबन्दी कायम है तथा सरकारी लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है। द्वितीय पक्ष आगे बताते हैं कि उक्त भूमि को लेकर बुधन महतो वगैरह बनाम जोधन ~~महतो~~ पासवान के नाम से एक टाइटल सुट 199/2000 मुंसिफ कोर्ट गिरिडीह	(1/2)

(2/2)

में चला था जिसमें Decree कुन्दन महतो के पक्ष में दिया गया था। द्वितीय पक्ष अपने दावे के समर्थन में एक online रसीद, न्यायनिर्णय की छायाप्रति, एक सुलह नामा तथा एक पंचायत नामा प्रस्तुत करते हैं।

उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अध्ययन करने, उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के दलीलों को सुनने तथा अंचल अधिकारी बगोदर के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निर्णय पर पहुँचता हूँ कि विवादित जमीन को लेकर उभय पक्ष में स्वत्व संबंधी विवाद है। द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत स्वत्व संबंधी निर्णय नहीं हो सकता है। साथ ही स्वत्व संबंधी विवाद के निपटारे के लिए वर्तमान दोनों पक्षकार के पूर्वज पूर्व में ही सक्षम न्यायालय चले गए थे तथा उक्त दोनो पक्षकार के पूर्वजों के द्वारा दिए गए सुलहनामा के आधार पर माननीय न्यायालय ने अपना न्यायनिर्णय दिया है। अतः प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को चाहिए कि उक्त न्यायनिर्णय का सम्मान सुनिश्चित करेंगे।

द.प्र.सं. की धारा 144(4) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

5/3/24

अनुमंडल पदा०
बगोदर सरिया

5/3/24

अनुमंडल पदा०
बगोदर सरिया

C.C. Issued ...

C.C. Issued ...

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 14:29:00 +05:30
Location: 192.168.1.3

Scanned with OKEN Scanner